


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (रसायन विज्ञान) का इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र. स.	कार्मिक का नाम मय पदस्थापन स्थान	विषय	मूल आदेश क्रमांक दिनांक	संशोधन जो किया जाना है।
1.	सुश्री मधु गोयल व्याख्याता(रसायन विज्ञान)	रसायन विज्ञान	शिविरा/मा/संस्था/सी-4/15601 /सेवानिवृत्ति/17-18/दिनांक 28. 07.2017	इस आदेश में कार्मिक का पदस्थापन राउमावि लोटियाना, अजमेर के स्थान पर राउमावि कडैल(अजमेर) पढ़ा जाये


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 21/11/17

क्र.मांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/17-18/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग जयपुर
3. उपनिदेशक, (माध्य) अजमेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य) अजमेर
5. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि कडैल अजमेर
6. संबंधित कार्मिक, सुश्री मधु गोयल व्याख्याता(रसायन विज्ञान) राउमावि कडैल अजमेर
7. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/सेनि/ इति-वाणि/ 31853 /सेवानिवृति/ 2017-18 दिनांक 17.11.2017 द्वारा 06 व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेश के क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिक का नाम हरि सिंह व्याख्याता इतिहास के स्थान पर हरसिंह संशोधित कर पढा जावे।

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक-17.11.17 के अनुसार रहेगी ।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2017-18

दिनांक- 21/11/17

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचारीधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवानिवृति आदेश


(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम	नाम व्याख्याता श्री/सुश्री/श्रीमती	व्याख्याता विषय	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3		4	5
1	सत्यनारायण ओझा	वाणिज्य	राजेन्द्र मार्ग, भीलवाडा	01/01/1958	31/12/2017
2	रणजीत सिंह	वाणिज्य	कटराथल-सीकर	02/01/1958	31/01/2018
3	रामेश्वर लाल नायक	इतिहास	मलसीसर-झुंझुनू	21/10/1957	31/10/2017
4	हरि सिंह	इतिहास	पीलीबंगा-हनुमानगढ	20/11/1957	30/11/2017
5	प्रभातीलाल	इतिहास	मनकसास-झुंझुनू	05/01/1958	31/01/2018
6	हनुमान प्रसाद	इतिहास	मलसीसर-झुंझुनू	05/01/1958	31/01/2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक-17/11/17

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2017-18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर